भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

आईसीएमआर/विविध/01/2026/कार्मिक(264123) दिनांक : 29.06.2026

कार्यालय आदेश

विषय : परिषद की वित्तीय सहायता से आईसीएमआर के स्टाफ के सरकारी विदेशी दौरों के विनियमन- के संबंध में।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विदेशी यात्रा में विवेक और किफ़ायत के आह्वान की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, परिषद के महानिदेशक के अनुमोदन से, परिषद की वित्तीय सहायता से विदेशी दौरों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1. आगामी आदेशों तक, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और समान अकादमिक कार्यक्रमों में परिषद द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित विदेशी दौरों में भागीदारी के लिए सामान्यतः सहायता नहीं दी जाएगी।
2. केवल उन्हीं मामलों को अपवाद स्वरूप माना जाएगा, जिनमें संबंधित निदेशक यह प्रमाणित करें कि प्रस्तावित दौरा अनिवार्य है और परिषद के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है और सक्षम प्राधिकारी का विशेष अनुमोदन लिया जा चुका है।
3. परिषद से वित्तपोषित मामलों में, प्रस्ताव में निरपवाद रूप से विस्तृत औचित्य को दर्शाया गया हो :-
   (i) दौरे की आवश्यकता;
   (ii) अपेक्षित विज्ञानीय, तकनीकी और प्रोग्रामैटिक परिणाम; और
   (iii) परिषद का अधिदेश और प्राथमिकताओं के लिए प्रस्तावित दौरे की प्रासंगिकता।
4. जहाँ तक संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों, कार्यशालाओं और समान आयोजनों में आभासी (वर्चुअल) भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए।
5. ये अनुदेश परिषद द्वारा वित्तपोषित सभी आगामी प्रस्तावों पर लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

विदेशी दौरों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारियों और परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग/इकाई/ प्रकोष्ठ के प्रमुखों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह परिषद के महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्त-
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रेषण : परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी और परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग/इकाई/ प्रकोष्ठ के प्रमुख।

प्रतिलिपि :

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(वित्त)।
3. डॉ. मंजीत सिंह चालगा, वैज्ञानिक-ई, इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
4. गार्ड फाइल।